न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/113/2020	27–11–2020	12–04–2021

01–रणजीत कौर पत्नी राजाराम जाति नट पंजाब की ढाणी ग्राम पैतपुर तहसील व जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

01–राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का पैतपुर तहसील अलवर जिला अलवर।

02–सहायक अभियन्ता जल संसाधन उप खण्ड अलवर।

03–मूल चन्द पुत्र बुद्वाराम जाति धोबी निवासी डी0 1506 जहांगीर पुरी देहली।

04–कैलाश गुर्जर पुत्र हीरालाल जाति गुर्जर निवासी पैतपुर तहसील व जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार बहरोड दिनांक 27–09–2019 अन्तर्गत धारा 90–ए भू राजस्व अधिनियम 1965 (15)

उपस्थितः–

01. श्री गणपत सिंह नरूका –वकील अपीलान्ट

02. श्री अशोक कुमार शर्मा (लीव रिर्जव नायब तहसीलदार)–राजकीय पैरोकार

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार अलवर के आदेश दिनांक 27–09–2019 जिसके तहत अपीलान्ट को ग्राम पैतपुर तहसील अलवर के आराजी खसरा 90, 89/972 जिनका ऐरिया 0.6 है0, 0.17 है0 से बेदखल करने एवं पैलेन्टी से दण्डित करने के आदेश दिये गये है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया, रिकार्ड उपलब्ध नही हुआ। बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 89/972 रकबा 0.17 है0, 90 रकबा 0.06 है0, व आराजी खसरा नम्बर 92 रकबा 0.15 है0 में से 11/15 हिस्सा वाकै ग्राम पैतपुर का विजय पुत्र श्रवण जाति जाटव निवासी सावडी तहसील अवर का रिकोडर्ड काबिज काश्तकार खातेदार था जिसका इन्द्राज जमबान्दी सं0 2072 से 74 में दर्ज है। अपीलान्ट

ने उक्त आराजी वर्ष 2019 से पूर्व विजय सिंह से क्रय कर ली थी। परन्तु अपीलान्ट के पास रजिस्ट्री कराने के लिये रूपयों का इन्तजाम नहीं था, उक्त आराजी की रजिस्ट्री नहीं कराई गई, वक्त खरीद से काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है। अपीलान्ट ने आराजी 89/972 व 90 रकबा 0.17 है0, 0.06 है0 किता 2 रकबा 23 ऐयर जरिये बैयनामा दिनांक 8.7.20 के विजय सिंह पुत्र श्रवण जाति जाटव से व आराजी खसरा नम्बर 92 रकबा 0.15 है0, का 11/15 हिस्सा को विजय सिंह पुत्र श्रवण जाटव से जरिये बयनामा दिनांक 27.7.20 के खरीद किया उक्त दोनों बयनामों का उप पंजीयक अलवर द्वारा तस्दीक किया गया बयनामों के आधार पर इन्तकाल संख्या 525 दिनांक 20.9.19 को अपीलान्ट के हक में स्वीकार किया गया। अपीलान्ट की क्रयशुदा भूमि से रेस्पा0 संख्या 3 व 4 का कोई ताल्लुक व सरोकर नही है ना उनका अपीलान्ट के क्रयशुदा भूमि से कोई ताल्लुक व सरोकार है। तहत अदालत ने अपने निर्णय में गलत तोर से अंकित किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 89/972, 90, 92 सीलीसेढ की वाटर वेयर के साथ स्थित गाईड बंध के साथ लगती भूमि है जो बाध के भराव की तरफ स्थित है। उस पर अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा पक्की चार दिवारी कर अतिक्रमण कर लिया गया है एवं बांध पर तारबन्धी कर ली गई है। जबकि रैस्पा0 3 कैलाश गुर्जर का उपरोक्त भूमि से कोई ताल्लुक व सरोकार नहीं है और ना ही वह खातेदार काश्त है। अपीलान्ट के कब्जे में आराजी क्रय शुदा हिस्सा का सीलीसेढ की वाटर वेयर के साथ स्थित गाईड बंध के साथ कोई भूमि लगती हुई नहीं है बल्कि अपीलान्ट की भूमि बांध से अलग है जिससे भी तहत अदालत गौर नहीं किया। तहत अदालत ने अपीलीय निर्णय में गलत तौर से अंकित किया गया है कि मौके पर खसरा नम्बर 90 व 59 के मध्य कैलाश गुर्जर द्वारा ईटों का मकान 15 गुणा 25 फुट में बना रखा है रोड के पास दिवार खडी कर रखी है कैलाश का उक्त भूमि से कोई ताल्लुक व सरोकार किसी किस्म का नहीं है। अपीलान्ट के द्वारा रिहायश हेतु बनाया हुआ है वो 2019 से पूर्व जब अपीलान्ट ने आराजी विजय सिंह से खरीद की थी उस समय से ही बने हुये है। तहत अदालत द्वारा विजय सिंह जो उक्त आराजी का रिकार्डडे खातेदार था को भी कभी नोटिस जारी नहीं कियें। प्रकरण में अब्दूल रहमान बनाम सरकार से कतई भिन्न है जब अपीलान्ट की आराजी बांध के किसी भराव क्षेत्र में ही नहीं आती तो उक्त केस का पर अब्दूल रहमान बनाम सरकार की कतई प्रक्रिया लागू नही होती है। अपीलान्ट को पक्षकार ना बनाकर निर्णय पारित किया है। तहत अदालत ने बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिए तथा अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिए बिना एवं मौका निरीक्षण किये, बिना पैमाईश किये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलान्ट को तहत अदालत ने साक्षय, सबूत का मौका नहीं दिया गया, और अपीलान्ट की गैर मौजूदगी एकपक्षीय कार्यवाही कर पारित किया गया है। पटवारी हल्का ने बिना मौका निरीक्षण किए ही मनमाने तरीके से गलत रिपोर्ट पेश की है जिसकी जॉच तहत अदालत ने नहीं की और बिना वास्तविकता की जॉच किए ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निर्णय खिलाफ तथ्य कानून मौका साक्षय प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों एवं नैसर्गिक

जिला कलक्टर
अलवर (राज.)

न्याय सिद्वान्त व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (15) धारा–90 ए के प्रावधानों के विपरीत है। जिससे अपीलान्ट को बिना सुने निर्णय पारित किया है जिससे अपीलान्ट के हकूक जायल हुये है जिस बाबत प्रार्थना पत्र 96 जाप्ता दीवानी पेश किया है, अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 11–11–2020 को हुई जिस पर आवश्यक दस्तावेजात की नकल दिनांक 18–11–2020 को प्राप्त हुई। अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद के साथ पेश की है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश में वर्णित आराजी सिलीसेढ बांध के भराव क्षेत्र के अन्तर्गत आते है। इन खसरों के मध्य पक्का चबूतरा भी बना हुआ है चबूतरे तक बांध का भराव आता है। भराव बहाव क्षेत्र में संबंध में अब्दुल रहमान बनाम सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के साफ आदेश ा है कि बांध, नदी, तालाब, बावडी के बहाव व भराव क्षेत्र में किसी तरह का अतिक्रमण या निर्माण नहीं हो सकता है। तहत अदालत द्वारा पारित अपीलीय आदेश ा अब्दुल रहमान बनाम सरकार के आदेश ा की पालना में बेदखल किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र 96 सी0पी0सी0 पर विचार किया। न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। सर्वप्रथम सर्वप्रथम दफा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील अपीलीय आदेश के विरूद्ध दिनांक 27–11–2020 को इस न्यायालय में पेश की है। प्रार्थना पत्र दफा–5 में दर्ज तथ्यों तथा अपीलान्ट के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुऐ विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया, तहत अदालत के अनुसार सबंधित पक्षकारान कैलाश गुर्जर पुत्र हीरालाल गुर्जर को नोटिस क्रमांक 1432–34 दिनांक 25.07.2019 एवं मूल चन्द पुत्र बुद्वाराम जाति धोबी को नोटिस क्रमांक 1435–38 दिनांक 25.07.2019 को अन्तर्गत धारा 90–ए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का जारी किया गया है। तहत अदालत द्वारा कैलाश गुर्जर व मूल चन्द के विरूद्व दिनांक 27–09–2019 को अपीलीय निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट का कथन है कि विवादित आराजी जरिये बयनामा दिनांक 08–07–2020 एवं दिनांक 27–07–2020 के खरीद किया। तहत अदालत के अपीलीय निर्णय दिनांक 27–09–2019 को पारित किया गया था उस समय अपीलान्ट का विवादित आराजी पर कोई स्वामित्व नहीं होने के कारण तहत अदालत के द्वारा अपीलान्ट को नोटिस जारी नहीं किया गया। विवादित आराजी जरिये बयनामा दिनांक 08–07–2020 एवं दिनांक 27–07–2020 से खरीद किया, जबकि तहत अदालत ने अपीलीय आदेश दिनांक 27–09–2019 को पारित कर दिया, पारित निर्णय के पश्चात् अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजी जरिये बयनामा क्रय की गई, ऐसी स्थिति में तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट को नही सुना जा सकता है। अपीलीय

आदेश से यह स्पष्ट है कि ग्राम पैतपुर के आराजी ख0नं0 89/972, 90, 92 पर कैलाश गुर्जर पुत्र हीरालाल गुर्जर द्वारा उक्त निर्माण सिलिसेढ बांध के भराव क्षेत्र की तरफ स्थित है जो कि बांध की एम.डब्लू.एल. पर चबूतरे तक आशिंक भराव एवं बहाव में आती है, आराजी ख0नं0 90, 89/972 जिनका एरिया 0.06 है0, 0.17 है0 है। जो सिलीसेढ बांध के भराव क्षेत्र के अन्तर्गत आते है। तहत अदालत द्वारा बेदखली व पैनल्टी का जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर तहसीलदार अलवर का आदेश दिनांक 27–09–2019 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड सहित भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12–04–2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर, अलवर